तारीख हुक्म	
15/2/18	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष मय पक्षकारान् उपस्थित। उभयपक्ष ने उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा दिनांक 09.02.2018 को प्रस्तुत कर दिया था। आज पुनः उभयपक्ष उपस्थित है, साथ ही प्रतिवादी नं0 1 की पुत्रियां शकुंतला एवं शीतल भी उपस्थित है। राजीनामा उपस्थित पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया, उपस्थित पक्षकारान् मुताबिक राजीनामा प्रकरण के निस्तारण हेतु सहमत है, सहमति स्वरूप उभयपक्ष नें आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद शर्मा एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 की पहचान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र शर्मा द्वारा प्रमाणित की गई। राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष नें निवेदन किया कि शकुंतला एवं शीतल सहमति से अपनें पिता की भूमि में हकत्याग कर रही है। अगर हमारें पिता की भूमियों में हमारें भाई हेमन्त एवं लालचन्द का नाम भी 1/3–1/3 हिस्से में जोडा जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वाद वहस पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में विधिक विचारण करनें के उपरान्त हम यह पाते है कि ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 108 रकबा 1.75 हे0, ख0नं0 112 रकबा 1.02 हे0, ख0नं0 121 रकबा 0.95 हे0 ख0नं0 178 रकबा 1.18 हे0 कुल किता 4 रकबा 4.90 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 रामलटूर की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी नं0 1 की ओर प्रस्तुत जवाब दावा में प्रतिवादी नं0 1 नें भी स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पुश्तेनी आराजी है तथा वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र है, किन्तु प्रतिवादी नं0 1 नें कथन किये कि उसके दो पुत्रियां कमशः शकुंतला एवं शीलत भी है। पक्षकारान् जाति से मीणा है और मीणा जाति में पुत्र के होते हुए पुत्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं होते है, इस कारण उन्हे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। वैस भी प्रतिवादी नं0 1 की दोनों पुत्रियों ने उपस्थित होकर अपना हिस्सा दोनों भाईयों के पक्ष में रिलीज करनें की सहमति प्रकट की है। किन्तु प्रतिवादी नं0 1 की दोनों पुत्रियां शकुंतला एवं शीलत वर्तमान में खातेदार नहीं ऐसी स्थिति में हकत्याग की रिलीफ दिया जाना संभव नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाना उचित पाते है। लिहाजा वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 108 रकबा 1.75 हे0, ख0नं0 112 रकबा 1.02 हे0, ख0नं0 121 रकबा 0.95 हे0 ख0नं0 178 रकबा 1.18 हे0 कुल किता 4 रकबा 4.90 हे0

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहव जो किस हुक्म की तामील में जारी हु
भूमि में प्रतिवादी नं0 1 रामलटूर के साथ वादी हेमन्त, प्रतिवादी नं0 2 लालचन्द पुत्रान रामलटूर एवं शकुंतला व शीलत पुत्रियां रामलटूर को बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।	

Scanned by CamScanner